



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092023-249027
CG-DL-E-27092023-249027

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4077]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/आश्विन 5, 1945

No. 4077]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ ASVINA 5, 1945

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

का.आ. 4247(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की राय है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश किया जाता है, अर्थात्: -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इस आदेश को मेडीकल टेक्सटाइल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जा सकता है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से, इस आदेश से जुड़ी अनुसूची - ए और अनुसूची - बी के कॉलम (5) में आइटम-वार निर्दिष्ट अवधि के तुरंत बाद लागू होगा।
- आवेदन** - यह आदेश उक्त अनुसूचियों के कॉलम (2) में निर्दिष्ट वस्तुओं या सामानों पर लागू होगा, परंतु निर्यात से संबंधित ऐसी वस्तुओं या सामानों और इस आदेश की अनुसूची ए में निर्दिष्ट वस्तुओं जो स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा निर्मित हैं, पर लागू नहीं होगा।

[स्पष्टीकरण - इस पैरा के प्रयोजन के लिए, ---

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का आशय है 10 से 20 व्यक्तियों का छोटा अनौपचारिक समूह, जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध में सजातीय हैं और सदस्यों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने और समूह

सदस्यों के लाभ के लिए संसाधन जुटाने और प्रबंधित करने के एक सामान्य उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। तथापि, पहाड़ी इलाकों या क्षेत्रों और मुख्य रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जहां समुदाय बिखरे हुए हैं, न्यूनतम 5 सदस्यों के छोटे समूह भी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में बनाए जाते हैं।]

3. **मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग** - उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सामान या वस्तु उसके कॉलम (3) में निर्दिष्ट तदनरूप भारतीय मानक के अनुरूप होगी और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की योजना-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न धारण करेगी।
4. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी** - भारतीय मानक ब्यूरो उक्त अनुसूची - क और अनुसूची ख के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सामानों या वस्तुओं के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
5. **उल्लंघन के लिए जुर्माना** - जो भी व्यक्ति, इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय होगा।

अनुसूची-ए

| क्र.सं. | सामान या वस्तुएं | भारतीय मानक(आईएस) | भारतीय मानक का शीर्षक | क्रियान्वयन के लिए समयसीमा |
|---------|--|-------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | सेनेटरी नेपकिन | आईएस 5405:2019 | सेनेटरी नैपकिन - विशिष्टता (दूसरा संशोधन) | लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एसएमई) के लिए - 1 अक्टूबर 2024 अन्य के लिए - 1 अप्रैल 2024 |
| 2 | बेबी डायपर | आईएस 17509:2021 | डिस्पोजेबल बेबी डायपर - विशिष्टता | |
| 3 | पुनः प्रयोज्य सेनेटरी पैड सेनेटरी नैपकिन पीरियड पैटी | आईएस 17514:2021 | पुनः प्रयोज्य सेनेटरी पैड/सेनेटरी नैपकिन/पीरियड पैटी - विशिष्टता | |

अनुसूची-बी

| क्र.सं. | सामान या वस्तुएं | भारतीय मानक(आईएस) | भारतीय मानक का शीर्षक | क्रियान्वयन के लिए समयसीमा |
|---------|---------------------|-------------------|--|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | शू कवर्स | आईएस 17349:2020 | मेडीकल टेक्सटाइल्स-शू कवर्स - विशिष्टता | 1 अप्रैल, 2024 |
| 2 | डेंटल बिब/नेपकिन | आईएस 17354:2020 | मेडीकल टेक्सटाइल्स-डेंटल बिब या नेपकिन- विशिष्टता | |
| 3 | बेडशीट एवं पिलो कवर | आईएस 17630:2021 | मेडीकल टेक्सटाइल्स-बेड शीट एवं पिलो कवर- विशिष्टता | |

नोट : अनुसूची - ए और अनुसूची - बी के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड (17) के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण, ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 6/1/2021-आरएंडडी (पार्ट-4)]

राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 27th September, 2023

S.O. 4247(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force immediately after such periods, as specified item-wise in column (5) of the Schedule - A and Schedule - B annexed to this Order, from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Application. – This Order shall apply to goods or articles specified in column (2) of the said Schedules, but shall not apply to such goods or article meant for export and items specified in Schedule A to this order that are manufactured by Self Help Groups (SHGs).

[**Explanation.** — For The purpose of This para, —

Self Help Groups (SHGs) means small informal group of 10 to 20 individuals, who are homogenous with respect to social and economic background and come together voluntarily for promoting savings habit among members and for a common cause to raise and manage resources for the benefit of group members. However, in hilly tracts or regions and predominantly tribal dominated areas where communities are dispersed, smaller groups of minimum 5 members are also formed into Self Help Groups (SHGs).]

3. Compulsory use of Standard Mark. – The goods or article specified in column (2) of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) thereof and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme – I of Schedule – II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

4. Certifying and enforcement authority. – The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (2) of the said Schedule - A and Schedule - B.

5. Penalty for contravention.— Any person, who contravenes the provisions of this Order, shall be punishable in accordance with the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

SCHEDULE–A

| Sl. No. | Goods or article | Indian Standard (IS) | Title of Indian Standard | Timeline for implementation |
|---------|--|----------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Sanitary napkins | IS 5405:2019 | Sanitary napkins - Specification (second revision) | For Small & Micro Enterprises (SME) – 1st October 2024 For Others – 1st April 2024 |
| 2 | Baby Diaper | IS 17509:2021 | Disposable baby diaper - Specification | |
| 3 | Reusable Sanitary Pad Sanitary Napkin Period Panties | IS 17514:2021 | Reusable sanitary pad/ sanitary napkin/ period panties -Specification | |

SCHEDULE - B

| Sl. No. | Goods or article | Indian Standard (IS) | Title of Indian Standard | Timeline for implementation |
|---------|--------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Shoe covers | IS 17349:2020 | Medical textiles - Shoe covers - Specification | 1st April 2024 |
| 2 | Dental bib/Napkins | IS 17354:2020 | Medical textiles - Dental Bib or Napkins - Specification | |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------|--|--|
| 3 | Bedsheet and Pillow Cover | IS 17630:2021 | Medical Textiles - Bed sheet and pillow cover -Specification | |
|---|---------------------------|---------------|--|--|

Note : For the purposes of the Schedule - A and Schedule - B, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and published by the Bureau of Indian Standards from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), shall apply from the date of such publication.

[F. No. 6/1/2021-R&D(Pt. 4)]

RAJEEV SAXENA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022024-252335
CG-DL-E-24022024-252335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 792]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2024/फाल्गुन 4, 1945

No. 792]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2024/PHALGUNA 4, 1945

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2024

का.आ. 830(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा चिकित्सा वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ. - (1) इस आदेश को चिकित्सा वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 कहा जा सकता है।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. चिकित्सा वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 में:-

(i) पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह आदेश इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची-क और अनुसूची-ख के

कॉलम (5) में निर्दिष्ट अनुसार प्रभावी होगा।"

(ii) अनुसूची-क के कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"1 अक्टूबर 2024"

नोट: मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 27 सितम्बर 2023 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4247(ई) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

[फा. सं. 6/1/2021-आरएंडडी(पार्ट 4)]

राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2024

S.O. 830(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following amendment in the Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Medical Textiles (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023 : -

(i) in paragraph 1, for sub-paragraph (2) the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force as specified in column (5) of the SCHEDULE - A and SCHEDULE - B annexed to this Order."

(ii) in SCHEDULE-A, for Column (5), the following shall be substituted, namely :-

" 1st October 2024".

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 4247(E) dated 27th September 2023.

[F. No. 6/1/2021-R&D(Pt. 4)]

RAJEEV SAXENA, Jt. Secy.